अहकाम जो
हुक्म की तार्मी
में जारी हु

23/01/24 पत्रावली पेश। As per O23 R3 CPC राजीनामा in writing & signed by parties होना चाहिए उक्त की पालना में राजीनामा पर प्रति. सं. 01, 02, 03 के का. मु. एवं प्रति. सं. 04 के हस्ताक्षर नहीं पाए गए। इस पर अधि. द्वारा बताया गया - प्रति सं. 01, 02, 03, 04 द्वारा अपने हिस्से की जमीन पूर्व में प्रति. सं. 05, 06 को बेचान कर दी गई थी।

राजीनामा अनुसार वाद का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है-

1. राजीनामा की पैरा सं. 03 के अनुसार - "प्रतिवादीगण वादी काळू के हक में राजस्व मूलवाद सं. 64/1971 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19/09/72 को स्वीकार करते हैं तथा वादग्रस्त भूमियों में वादी कालू के वारिसान के खातेदारी की 86 बीघा 1 बिस्वा भूमि होना भी स्वीकार करते हैं। उसी अनुरूप रिसीवर के कब्जा प्राप्त करने पर वादी कालू काबिज थे। उक्त निर्णयानुसार लालू तथा अमिया के हिस्से में कुल 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि एवं श्रीमति मादूड़ी बेवा भोमा के हिस्से में 20 बीघा भूमि थी।"

तहसीलदार, जोधपुर राजस्व मूलवाद सं. 64/1971 में पारित निर्णयानुसार राजस्व record दुरुस्त करे (निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न है)

2. राजीनामा के पैरा सं. 02 के अनुसार - "विवादित भूमि ख. सं. 608 (116 बीघा 6 बिस्वा) एवं ख. सं. 765 (9 बिस्वा) में स्थित है। किंतु प्रति. सं. 01, 04, 05, 06 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाब दावा अनुसार ख. सं. 608 में 115 बीघा 17 बिस्वा भूमि दर्ज है।"

तहसीलदार, जोधपुर राजस्व रिकॉर्ड (नया, पुराना) की जाँच कर आवश्यकतानुसार कार्यवाही करे।

03. राजीनामा के पैरा सं. 04 के अनुसार - "प्रति. सं. 05 व 06 द्वारा revenue record के त्रुटिपूर्ण इंद्राजात के आधार पर प्रति. लालू से 19 बीघा भूमि जरिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख के खरीद की गई थी। जबकि वास्तव में राजस्व वाद 64/1971 के निर्णय अनुसार प्रति लालू के हिस्से में 5 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि ही आती है। अतः प्रति. 05 व 06 को केवल 5 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि के ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हैं।"

चूंकि राजस्व वाद का निस्तारण वर्ष 1972 में हुआ एवं जरिए रजि. बैयनामा बेचान वर्ष 1999 में हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि विक्रय विलेख शुरू से ही प्रभावशून्य था। इसे खारिज करते हुए प्रति. सं. 05 व 06 को 5 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

04. राजीनामा के पैरा सं. 05 के अनुसार- "वादीगण प्रति- सं. 05 व 06 के हक में स्वयं के खातेदारी की 86 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 11 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि का अंतरण जरिए reg. दस्तावेज कर देंगे, जिसके stamp duty प्रति. सं. 05 व 06 द्वारा देय होगी। इसके पश्चात वादीगण के हिस्से में 74 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि शेष रहेगी। पूर्व निर्णयानुसार अमिया (प्रति. सं. 04) के हिस्से में 5 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि आती है, किंतु अमिया एवं उसके वारिसान विगत 20 वर्षों से काबिज नहीं हैं। अमिया के वारिसान की जानकारी में वादीगण आज दिनांक तक शांतिपूर्वक काबिज हैं। अतः वादीगण को अमिया की भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। यदि वादीगण उक्त भूमि बाबत अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाते हैं तो

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रति. सं. 05 व 06 को कोई एतराज नहीं है।"

उक्त पैरा में वर्णित वादीगण की खातेदारी भूमि 86 बीघा 5 बिस्वा ना होकर राजस्व वाद 64/1971 के निर्णयानुसार 86 बीघा 5½ बिस्वा है। यदि वादीगण द्वारा अपने खातेदारी भूमि में से कुछ हिस्सा प्रति. सं. 05 व 06 को जरिए पंजीकृत विक्रय-विलेख हस्तांतरित किया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी विधि-सम्मत कार्यवाही करे। Stamp duty संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं है। साथ ही प्रति. सं. 02 की 5 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि इस आधार पर वादीगण के नाम कर दी जावे कि प्रति. सं. 02 की जमीन पर विगत 20 वर्षों से वादीगण काबिज है, यह कथन विधिसम्मत नहीं होने के कारण स्वीकार्य नहीं है।

05. पैरा सं. 07 में वर्णित कथन सिविल न्यायालय से संबंधित है।

06. पैरा सं. 08 में वर्णित रिसीवर संबंधी कार्यवाही पृथक से जैरकार है।

आदेश खुले में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Peshkar